न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी : उत्तम सिंह शेखावत (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2024/25 **दायर दिनांक 15.03.2024**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) –सायल–

बनाम

विनोद सिंह पुत्र करणीसिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी वार्ड नम्बर 08 कस्बा सरदारशहर पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू। –गैरसायल–

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :–

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**

निर्णय **दिनांक : 13.05.2024**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल विनोद सिंह पुत्र करणीसिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी वार्ड नम्बर 08 कस्बा सरदारशहर पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू का रहने वाला है, जो अवैध सट्टा व शराब बेचने का आदी है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :–

क्र.स.	मुकदमा नम्बर मय दिनांक	धारा व पुलिस थाना	चालान दिनांक	नतीजा अदालत
1.	367/27.10.2018	13 RPGO पुलिस थाना सरदारशहर	05.11.2008	सजा 05.11.2018
2.	454/26.10.2017	19/54 राज0आब0 एक्ट पुलिस थाना सरदारशहर	30.11.2017	सजा 30.11.2017
3.	51/10.02.2018	13 RPGO पुलिस थाना सरदारशहर	31.03.2018	सजा 31.03.2018
4.	183/07.05.2018	20/54 राज0आब0 एक्ट पुलिस थाना सरदारशहर	30.05.2018	सजा 30.05.2018
5.	582/27.10.2019	13 RPGO पुलिस थाना सरदारशहर	18.12.2019	सजा 18.12.2019
6.	577/15.11.2021	13 RPGO पुलिस थाना सरदारशहर	02.08.2022	सजा 06.08.2022
7.	134/09.03.2022	09/11 धुम्रपान प्रतिषेध एक्ट पुलिस थाना सरदारशहर	26.07.2022	सजा 26.07.2022

अतः इस्तगासा विरुद्ध विनोद सिंह पुत्र करणीसिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी वार्ड नम्बर 08 कस्बा सरदारशहर पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त ना गैरसायल और ना ही गैरसायल की ओर से कोई हाजीर आया, इसलिए गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

2024/25

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरू बनाम विनोद सिंह

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 04 बार, 13 RPGO, 01 बार 19/54 राज0आब0 एक्ट, 01 बार 20/54 राज0आब0 एक्ट तथा 01 बार 9/11 धुम्रपान प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 04 मुकदमें 13 आर.पी.जी.ओ., 01 मुकदमा 19/54 राज0आब0 एक्ट, 01 मुकदमा 20/54 राज0आब0 एक्ट तथा 01 मुकदमा 9/11 धुम्रपान प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल विनोद सिंह पुत्र करणीसिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी वार्ड नम्बर 08 कस्बा सरदारशहर पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल विनोद सिंह को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सरदारशहर गैरसायल विनोद सिंह को थानाधिकारी पुलिस थाना भानीपुरा को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना भानीपुरा की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी पुलिस थाना भानीपुरा में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सरदारशहर व थानाधिकारी पुलिस थाना भानीपुरा तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट * चूरू (राज.) *

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू